

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

न्याय आपके द्वार शिविर अटल सेवा केन्द्र- गादूवास

पीठासीन अधिकारी - महेश चन्द्र मान (आर०ए०एस०)

दावा

101/2017

रजू दिनांक

17.05.2017

निर्णय दिनांक

07.05.18

अनुवान

1. अमरसिंह मुत्र प्रहलाद जाति अहीर निवासी गादली की ढाणी तह० मुण्डावर जिला अलवर, राज०

:—वादी

बनाम

1. कुडिया
2. शीशराम
3. जसराम पुत्रान प्रभाती
4. जयसिंह पुत्र कुडिया
5. राजेन्द्र
6. सरजीत पुत्रान शीशराम
7. सन्दीप पुत्र जसराम जातियान समस्त अहीर निवासीयान समस्त गादली की ढाणी तह० मुण्डावर जिला अलवर राज०

:—प्रतिवादीगण

दाव्य—हु० ई० दवामी

अर्न्तगत धारा—188 राज० काश्त० अधि०

—:: पर्चा डिक्री::—

दिनांक:— 07.05.2018

वादी की ओर से श्री रणवीर सिंह यादव एडवोकेट की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 07.05.2018 को श्री महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि—


हाल आराजी खं० नं० 16/0.86, 67/0.26 है० वाके ग्राम गादली तह० मुण्डावर जिला अलवर के बाबत प्रतिवादीगण को जरिये हु० ई० दवामी से सदैव—सदैव के लिए



पाबंद किया जाता है कि वे वादी के हिस्से की उक्त विवादित आराजी पर जबरन कब्जा नहीं करे ना ही वादी को आराजी से बेदखल करे ना ही वादी के कुल काश्त कार्य में मजाहमत ही पैदा करे। मौके की यथारिथति बनाये रखे, पाबंद रहे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 07.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(महेश चन्द्र मान)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)